

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.4(7)नविवि/II/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 24 SEP 2019

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित सहायक/अधिकाधी अभियंताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	श्री संजीव शर्मा	अधिकाधी अभियंता	नगर सुधार न्यास, उदयपुर	नगर सुधार न्यास, आबू (सिरोही)	

राज्यपाल की आज्ञा से,



(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर।
5. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू (सिरोही)।
6. वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम